भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1664

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

कावेरी का पानी छोड़ा जाना

1664. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के लिए की आपूर्ति हेतु 31 जुलाई तक प्रतिदिन बिलिगुंडलू में 11,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्णाटक ने फरवरी और मई के बीच पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए नदी में जल के प्रवाह को बनाए नहीं रखा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष को सामान्य वर्ष माना जा रहा है और नदी में प्रवाह भी सामान्य रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): कावेरी जल विनियमन समिति (सीडबल्यूआरसी) ने दिनांक 11 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में कर्नाटक को अपने जलाशयों से जल छोड़ने का निदेश दिया है ताकि दिनांक 12.07.2024 से 31.07.2024 की अवधि के दौरान बिलिगुंडुलु में संचयी प्राप्ति 1.00 टीएमसी प्रति दिन (लगभग 11,500 क्यूसेक के औसत प्रवाह पर) हो सके।

(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा संशोधित किए अनुसार, कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतिम अवार्ड के अनुसार, लोअर कोलरून एनीकट (एलसीए) तक कावेरी नदी बेसिन का कुल जल 50% निर्भरता पर लगभग 740 टीएमसी निर्धारित किया गया है।

740 टीएमसी के उपर्युक्त आबंटन में से 10 टीएमसी जल का आबंटन पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए किया गया था।

इसके अलावा, दिनांक 16.02.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा संशोधित सीडब्ल्यूडीटी के अंतिम अवार्ड के अनुसार, कर्नाटक राज्य को तमिलनाडु से लगी अंतर-राज्य सीमा अर्थात बिलीगुंडुलु (सीडब्ल्यूसी जी एंव डी स्थल) पर सामान्य वर्ष में 177.25 टीएमसी जल छोड़ना होगा।

1 जून से 31 जनवरी तक निर्धारित प्रवाह एवं दिनांक 01.06.2023 से 31.01.2024 की अवधि के दौरान वास्तविक संचयी प्रवाह इस प्रकार रहे थे: -

अवधि	माननीय उच्चतम न्यायालय (टीएमसी में) द्वारा यथा संशोधित सीडब्ल्यूडीटी के अंतिम अवार्ड के अनुसार सामान्य वर्ष में निर्धारित सुनिश्चित प्रवाह	वास्तविक संचयी प्रवाह (टीएमसी में)
1 जून से 31 जनवरी	167.250	76.724

इसके अलावा, 1 फरवरी से 31 मई तक सामान्य जल वर्ष में निर्धारित प्रवाह और दिनांक 1 फरवरी, 2024 से 31 मई 2024 तक वास्तविक प्रवाह निम्नानुसार रहे थे

अवधि	माननीय उच्चतम न्यायालय (टीएमसी में) द्वारा यथा संशोधित सीडब्ल्यूडीटी के अंतिम अवार्ड के अनुसार सामान्य वर्ष में निर्धारित सुनिश्चित प्रवाह	वास्तविक संचयी प्रवाह (टीएमसी में)
फ़रवरी	2.5	0.660
मार्च	2.5	0.940
अप्रैल	2.5	0.438
मई	2.5	2.656
कुल	10.00	4.694

इस प्रकार, सामान्य जल वर्ष में सुनिश्चित किए जाने वाले निर्धारित प्रवाह और जल वर्ष 2023-2024 के दौरान वास्तविक संचयी प्रवाह इस प्रकार थे

अवधि	माननीय उच्चतम न्यायालय (टीएमसी में) द्वारा यथा संशोधित सीडब्ल्यूडीटी के अंतिम अवार्ड के अनुसार सामान्य वर्ष में निर्धारित सुनिश्चित प्रवाह	वास्तविक संचयी प्रवाह (टीएमसी में)
1 जून 2023 से 31 मई 2024	177.250	81.418

उपर्युक्त तालिकाओं से पता चलता है कि जल वर्ष 2023-24 के दौरान बिलीगुंडुलु में वास्तविक संचयी प्रवाह विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, कम वर्षा के कारण सामान्य जल वर्ष में सुनिश्चित किए जाने वाले निर्धारित प्रवाह से कम था।

(घ): सीडब्ल्यूडीटी के अंतिम आदेश के अनुसार, ''सामान्य वर्ष'' का अर्थ है ऐसा वर्ष जिसमें कावेरी बेसिन से कुल जल 740 टीएमसी जल-प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त, "जल वर्ष" का अर्थ है 1 जून से शुरू होने वाला और 31 मई को समाप्त होने वाला वर्ष। वर्तमान जल वर्ष 2024-25 (जल वर्ष 01 जून से 31 मई तक है) के दौरान, अब तक, प्राधिकरण की 02 बैठकें और विनियमन समिति की 03 बैठकें आयोजित की गई हैं।

दिनांक 24 जुलाई, 2024 को आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडबल्यूएमए) की 32वीं बैठक में कावेरी बेसिन में जल-मौसम संबंधी स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा यह नोट किया गया कि कर्नाटक राज्य के कावेरी बेसिन में चार नामित जलाशयों में दिनांक 01.06.2024 से 22.07.2024 की अवधि के दौरान कुल प्राप्त संचयी अंतवार्ह 118.245 टीएमसी है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले 30 वर्षों के लिए औसत संचयी कुल अंतवार्ह 90.458 टीएमसी था।

*****